पीएम आवास योजना के हितग्राही अंशदान की राशि जमा कर अपना स्वयं का मकान शीध्र पा सकते है

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में मोर मकान–मोर आस घटक अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया है। जो हितग्राही वर्ष 2022–23 में आवास हेतु निगम के आवास शाखा में आवेदन जमा किये है और जिन हितग्राहियो का नाम पात्र सूची में है। वे शासन के नियमानुसार 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा कर 10 जनवरी 2025 को होने वाले लाटरी में शामिल होकर अपना स्वयं का मकान पा सकते है। इस संबंध में आज निगम के सभागार में आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने हितग्राहियो, निर्माणकर्ता एजेंसी एवं ऋण प्रदान करने वाले बैंको के अधिकारियो की बैठक लेकर उन्हे पैसा जमा करने के लिए प्रेरित किये। आज की बैठक में 50 से 90 प्रतिशत राशि जमा करने वाले हितग्राही उपस्थित हुए थे। जिन्हे आयुक्त द्वारा समझाया गया कि जो राशि प्रतिमाह आप मकान किराये के रूप में जमा कर रहे है। पूरा पैसा जमा कर देने के बाद मकान प्रदाय कर दिया जायेगा। इसके लिए बैंको से घटते क्रम में ऋण प्रदान किया जा रहा है। बिना किसी विशेष पत्राचार किये, दोनो पक्षों के बीच बात–चीत, अनुबंध आदि करवाया गया। कल दोपहर को 2 बजे से निगम सभागार में 40 से 60 प्रतिशत राशि जमा कर चुके हितग्राहियो की बैठक होगी। वह भी आकर अपने अनुसार लोन लेकर मकान प्राप्त कर सकते है। जो व्यक्ति पूरा पैसा जमा कर देगा, उसे आबंटित मकान का कब्जा पत्र एवं मकान की चाबी 14 जनवरी को प्रदान कर दी जायेगी। यह सुविधा सभी हितग्राहियो के लिए उपलब्ध है। बैठक के दौरान कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, अभियंता दीपक देवांगन, सी.एल.टी.सी. से उत्पल शर्मा, आदित्य ठाकुर, प्रभारी योजना अधिकारी विद्यायाधर देवांगन, निर्माणाधीन एजेंसी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जो भी मकान संबंधी हितग्राहियो द्वारा समस्या बताई गई उसे निराकरण करने के लिए आयुक्त ने एजेंसी को निर्देशित किया।